न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/274

1. गोरा बाई बेवा भूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मानमल आत्मज भूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. जगदीश आत्मज भूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सोसर बाई पुत्री भूरा पत्नी दुर्गालाल जाति माली निवासी ग्राम रजलावता हाल निवासी ग्राम खोडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. पोखरी पुत्री भूरा पत्नी लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम रजलावता हाल निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. छोटा पुत्री भूरा पत्नी किसन जाति माली निवासी रजलावता हाल सुवासडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. राधाबाई बेवा सेवा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता हाल पत्नी जगदीश निवासी ग्राम बासी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. गेंदी बाई बेवा सेवा सेवा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी।
9. नाथूलाल आत्मज कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी
10. रामनाराण आत्मज कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. छोटू लाल आत्मज कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. पुष्पा बाई बेवा कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. घींसी बाई पुत्री कस्तूरा जाति माली निवासी ग्राम रजलावता हाल पत्नी शम्भू जाति माली निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
14. भूरी पुत्री कस्तूरा जाति माली निरवासी ग्राम रजलावता हाल पत्नी शम्भू जाति माली निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
15. विमला पुत्री कस्तूरा जाति माली निवासी ग्रमा रजलावता हाल पत्नी रोडूलाल जाति माली निवीस ग्राम खानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण आत्मज ग्यारसा जाति धाकड निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. महावीर आत्मज ग्यारसा जाति धाकड निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मनराज आत्मज ग्यारसा जाति धाकड निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी ।

5. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक एचडीएफसी शाखा नैनवा जिला बून्दी ।
6. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. उप पंजीयक महोदय, देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 01.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188, 53 एवं 136 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 319 की खसरा नम्बर 577 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार प्रतिवादी कम 1 से 3 के पिता ग्यारसा थे । ग्यारसा ने उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 577 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 579 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा में से 02 बीघा भूमि कुल 04 बीघा भूमि वादीगण के पिता /पति कस्तूरा व भूरा एवं सेवा पिसरान गिरधारी को सन् 1979 में बेचान कर कब्जा संभला दिया तब से ही भूरा, कस्तूरा सेवा जब तक जीवित रहे तब तक शांतिपूर्ण रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे । उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर वादीगण सम्मिलित रूप से काबिज होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी कम 1 से 3 जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 से 3 ने बेचान के तथ्य को छुपाते हुए अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा लिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण कम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 1 से 3 के नाम सम्पूर्ण भूमि पर खोले गये नामान्तरकरण से जमाबन्दी में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त करावाकर वादग्रस्त आराजी में जरिये रजिस्टर्ड बेचान की गई भूमि को वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 से 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि से वादीगण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल

नहीं करें, उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें प्रतिवादी कम 6 व 7 उक्त भूमि का पंजीयन नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन के बाद को निस्तारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । समस्त पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए और न ही पक्षकारान ने किसी प्रकार का कोई विधिक राजीनामा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में राधेश्याम, सत्यनारायण, प्रकाश, श्योकरण के शपथ पत्र हैं और इनके आधार कार्डों की प्रतियॉ हैं । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072 से 74 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–74 की प्रमाणित प्रति खाता संख्या 346, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 खाता संख्या 320, नकल जमाबन्दी सवंत् 2072–75 खाता संख्या 252, व्यवस्थापक रजलावता सहकारी समिति *का प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2018,* नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2035, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2044–47, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2048–51, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2052–55, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2056–59, 2060–63, 2064–67, 2068–71 तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2014 की सत्यप्रतिलिपि, नामान्तरकरण संख्या 380 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत् 2035–38 खाता संख्या 45 और जमाबन्दी संवत् 2038–42 खाता संख्या 44 की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । इनमें से पेश किये गये खसरा गिरदावरी, नकल जमाबन्दी, नामान्तरण और नक्शा ट्रेस की प्रतियॉ राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः इन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है । पेश किये गये दस्तावेजात में शपथ पत्र, सीमाज्ञान रिपोर्ट व व्यवस्थापक रजलावता सहकारी समिति का प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2018 को अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित नहीं

समझते हैं क्योंकि इन दस्तावेजात को साक्ष्य से अपील के स्तर पर प्रमाणित नहीं करवाया जा सकता । अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर नकल खसरा गिरदावरी, नकल जमाबन्दी, नकल नामान्तरण और नक्शा ट्रेस की प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को डिक्री किया है । लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट के द्वारा सन् 1979 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय क्रय की है । बिना सीपीसी की पालना किये दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (1) पेज 278 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत निर्णय लिखा है । समस्त दस्तावेजात का विवेचन किया गया है । सन् 1979 में ग्यारसा की मृत्यु हो हो चुकी है । अपीलान्ट ने 1979 में वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा उसी समय नामान्तरकरण अपने पक्ष में क्यों नहीं खुलवाया यह स्पष्ट नहीं किया है । इंतकाल रेस्पोडेन्ट के पक्ष में तस्दीक किया गया है । रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त आराजी रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं काबिज काश्त हैं । अपीलान्ट के दस्तावेज कूट रचित हैं । रेस्पोडेन्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज पेश किये हैं जो इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे की है । अपीलान्ट के कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा और विभाजन का पेश किया गया है । यह दावा प्रतिवादी क्रम 5 की तलबी में लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से कुछ पक्षकार उपस्थित हुए हैं जिसमें निशानी अंगूठा गंगाबाई, मनराज और सत्यनारायण के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं परन्तु इनको किसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारों के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 की ओर से जवाबदावा भी पेश किया गया है इसमें दावे को अस्वीकार किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित

करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त किया जाता है । *प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे* के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा